बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

अधि0सू0 संख्या–भवन / 11 / आरोप(दरभंगा)–03 / 2015 11250(अ) / पटना, दिनांक– 14.12.17

:: अधिसूचना ::

श्री विभाकर राम, तत्कालीन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दरभंगा–01 सम्प्रति सहायक अभियंता, भवन प्रमंडल, पूर्णियाँ के विरूद्ध कार्य प्रमंडल, दरभंगा के पदस्थापन काल के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत वहेड़ी प्रखंड के अधीन शिवराम से मिठुनियाँ पथ निर्माण में निजी जमीन को अतिक्रमित किये जाने के विरूद्ध दायर सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या–9867 / 2003 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक–15.09.2003 को पारित न्यायादेश का उलंघन करने, संबंधित संवेदक के विरूद्ध कार्रवाई नहीं करने एवं उक्त पथ के निर्माण का सम्यक पर्यवेक्षण नहीं करने के लिए आरोप प्रपत्र–"क" गठित करते हुए ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यालय आदेश संख्या–41–सह–पठित ज्ञापांक–2356 दिनांक–23.07.2014 द्वारा इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग–सह–संचालन पदाधिकारी द्वारा उनके पत्रांक–11 दिनांक–07.01.2015 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में श्री राम के विरूद्ध गठित दोनो आरोपों को प्रमाणित पाया गया।

3. उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए ग्रामीण कार्य विभाग के पत्रांक–199 दिनांक–16.01.2015 द्वारा श्री राम से द्वितीय कारण–पृच्छा की गयी किन्तु श्री राम द्वारा ससमय द्वितीय कारण–पृच्छा उत्तर समर्पित नहीं किये जाने के कारण ग्रामीण कार्य विभाग के स्तर से समीक्षोपरान्त श्री राम के विरूद्ध (i) निंदन एवं (ii) असंचयात्मक प्रभाव से दो वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने का दण्ड प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

4. श्री विभाकर राम, तत्कालीन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दरभंगा–01 सम्प्रति सहायक अभियंता, भवन प्रमंडल, पूर्णियाँ का प्रशासी विभाग वर्त्तमान में भवन निर्माण विभाग होने के कारण ग्रामीण कार्य विभाग के पत्रांक–464 दिनांक–08.03.2017 द्वारा अनुमोदित दण्ड प्रस्ताव के आलोक में श्री राम के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई हेतु भवन निर्माण विभाग से अनुरोध किया गया।

5. भवन निर्माण विभाग के अधीन उक्त अनुमोदित दण्ड प्रस्ताव पर विभागीय स्तर से समीक्षा की गयी। श्री विभाकर राम की सेवानिवृति की तिथि–30.06.2019 है। इनकी सेवानिवृति की तिथि के अनुसार माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा अनुमोदित दण्ड प्रस्ताव यथा असंचयात्मक प्रभाव से दो वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने का दण्ड का अनुपालन सम्भव नहीं है। अतः भवन निर्माण विभाग के अधीन समीक्षोपरांत सरकार के निर्णयानुसार श्री विभाकर राम तत्कालीन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दरभंगा–01 सम्प्रति सहायक अभियंता, भवन प्रमंडल, पूर्णियाँ के विरूद्ध उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम–14 (i) एवं (v) के तहत निम्नांकित दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है :–

1. **निदंन (आरोप वर्ष, 2003–04)**
2. **असंचयात्मक प्रभाव से एक वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक।**
   प्रस्ताव में माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(हस्ताक्षर) 14/12/2017

(रवि शंकर चौधरी)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–भवन / 11 / आरोप(दरभंगा)–03 / 2015 11251 (अ) / पटना, दिनांक– 14.12.17

प्रतिलिपिः–उप सचिव, ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग बिहार, पटना को हार्ड कॉपी एवं सी0डी0 के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

—सरकार के संयुक्त सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक भवन / 11 / आरोप(दरभंगा)–03 / 2015 11251 (अ) / पटना, दिनांक– 14.12.17

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

—सरकार के संयुक्त सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– भवन / 11 / आरोप(दरभंगा)–03 / 2015 11251 (अ) / पटना, दिनांक– 14.12.17

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना / वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना / जिला कोषागार पदाधिकारी, पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

—सरकार के संयुक्त सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–भवन / 11 / आरोप(दरभंगा)–03 / 2015 11251 (अ) पटना, दिनांक– 14.12.17

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री के आप्त सचिव / प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग / पथ निर्माण विभाग / ग्रामीण कार्य विभाग / अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग / पथ निर्माण विभाग / ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना / अपर सचिव / संयुक्त सचिव, भवन निर्माण विभाग, पटना / सभी मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना / अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, पूर्णियाँ, भवन निर्माण विभाग / कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल पूर्णिया / अवर सचिव, भवन निर्माण विभाग / श्री विभाकर राम, तत्कालीन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दरभंगा–01 सम्प्रति सहायक अभियंता, भवन प्रमंडल, पूर्णियाँ भवन निर्माण विभाग / आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, पटना को विभागीय वेब साइट पर अपलोड करने को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।